

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 21 मार्च, 2023

के मामले में:

& सि.वि. आ. 56263/2022

टीईक्यू ग्रीन पावर XIII प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री विश्रव मुखर्जी, श्री पीएसएस भार्गव, सुश्री प्रियंका व्यास, श्री राघव मल्होत्रा और सुश्री आयुषी खुराना, अधिवक्तागण।

बनाम

आरईएमसी लिमिटेड

.....प्रत्यर्थी

के माध्यम से: सुश्री पिंगी आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री बालेंदु शेखर, सुश्री सौदामिनी शर्मा, श्री श्रीआंश प्रकाश, श्री राजकुमार मौर्य और श्री कृष्णा चैतन, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.12.2022 के निर्णय को प्रभावित करते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की है जिसमें संदर्भ सं. आरईएमसीएल/सीओ/पीपी/पी-85 (इसके बाद आक्षेपित निर्णय के रूप में संदर्भित) प्रत्यर्थी आरईएमसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया जिसके संदर्भ में प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को चयन के अनुरोध के माध्यम से जारी ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं से चौबीसों घंटे बिजली की 1000 मेगावाट की खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संदर्भ सं. आरईएमसीएल/सीओ/पीपी/पी-85/आरटीसी/1000मे.वा./2022 दिनांकित 14 जुलाई 2022 (इसके बाद चयन के लिए अनुरोध के रूप में संदर्भित) द्वारा तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया है। विवरण से अलग इस न्यायालय के समक्ष जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह यह है कि याचिकाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य पाया गया था क्योंकि उसके द्वारा उद्धृत निवल मूल्य में उसके अधिमान शेयरों का मूल्य शामिल था जिसे प्रत्यर्थी के विचार में इस तरह के निवल मूल्य से बाहर रखा जाना चाहिए और इस तरह के बहिष्करण के अनुसार चयन के लिए अनुरोध के तहत निर्धारित निवल मूल्य का मानदंड संतुष्ट नहीं हो रहा है। इस मामले में तय किया जाने वाला संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या निवल मूल्य की गणना करते समय अधिमान शेयरों के मूल्य को शामिल किया जा सकता है और तदनुसार क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को चयन के अनुरोध के संदर्भ में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित करने में गलती की है।

2. याचिकाकर्ता, टीईक्यू ग्रीन पावर XIII प्राइवेट लिमिटेड ओ2 पावर एसजी पीटीई लिमि. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है (बाद में ओ2 के रूप में संदर्भित) जो मुख्यतः विद्युत (विद्युत नियंत्रण) विभिन्न नोडल एजेंसियों और वितरण कंपनियों द्वारा प्रापण के प्रयोजनार्थ विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति में लगी हुई है। प्रत्यर्थी, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड रेल मंत्रालय और राइट्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो प्रत्यर्थी में क्रमश 49% और 51% का हिस्सेदार है। प्रत्यर्थी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेलवे की नोडल एजेंसी है।

3. विवाद का तथ्यात्मक पहलु तत्काल दाखिल करने के लिए अग्रणी है याचिका नीचे दी गई है: -

- i. दिनांक 14.07.2022 को आरईएमसी लिमिटेड ने निविदा आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया (इसके बाद “एनआईटी” के रूप में संदर्भित) एनआईटी सं.: आरईएमसीएल/सीओ/पीपी/पी-85/आरटीसी/1000 मेगावाट/2022 जिसके द्वारा भारतीय रेलवे की ओर से और उसके लिए ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली परियोजनाओं से 1000 मेगावाट की राउंड-द-क्लॉक (आरटीसी) बिजली की आपूर्ति के लिए परियोजना डेवलपर्स के चयन हेतु बोलियां आमंत्रित की गई थी। चयन के लिए अनुरोध जो एनआईटी के साथ जारी किया गया था में *अन्य बातों के साथ-साथ* निर्धारित किया गया था बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया और संभावित आवेदकों द्वारा पूरा किए जाने वाले अपेक्षित पात्रता मानदंड।

- ii. दिनांक 09.11.2022 को याचिकाकर्ता ने तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के साथ संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।
- iii. दिनांक 11.11.2022 को, प्रत्यर्थी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियों को खोला।
- iv. इसके बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि अन्य बोलीदाताओं को रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए अग्रिम सूचना मिली थी जो दिनांक 19.12.2022 को होने वाली थी। इसलिए दिनांक 14.12.2022 को याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को *अन्य बातों के साथ-साथ* यह कहते हुए लिखा कि अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद रिवर्स नीलामी प्रक्रिया के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी और तदनुसार अनुरोध किया गया था कि उक्त मुद्दे को हल होने तक रिवर्स नीलामी को स्थगित कर दिया जाए।
- v. इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता, इस तरह के बहिष्करण के लिए कोई कारण बताए बिना बोली प्रक्रिया से बाहर किए जाने से व्यथित हो इस न्यायालय के समक्ष रि.या. (सि.) सं. 17230/2022 होने के नाते एक रिट याचिका दायर करने के लिए आगे बढ़ा जिसका विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी को निम्न निर्देशों के साथ निपटान किया गया था:-

“....7. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों पर प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.12.2022 (अनुलग्नक पी-8) के पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध के संदर्भ में प्रत्यर्थी अपना निर्णय याचिकाकर्ता को बताएगा और

इस बीच ई-रिवर्स नीलामी (ई-आरए) याचिकाकर्ता को उक्त निर्णय के संचार से शुरू होने वाले एक सप्ताह की समाप्ति तक स्थगित रहेगी।

8. पूर्वोक्त बयान को अभिलेख पर लेकर और प्रत्यर्थी को उस के लिए बाध्य कर लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिका का निपटान याचिकाकर्ता को बदली हुई परिस्थितियों में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है..”

vi. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 16.12.2022 को प्रत्यर्थी ने आक्षेपित निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए जारी किया कि याचिकाकर्ता की बोली को इस आधार पर बाहर रखा गया था कि यह “...निवल मूल्य गणना में प्रतिदेय अधिमानी शेयरों के अपवर्जन के बाद मूल कंपनी के निवल मूल्य के आधार पर तकनीकी स्तर पर अयोग्य घोषित किया गया है... ..”।

4. प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को निविदा प्रक्रिया के आगे के चरण से अयोग्य घोषित करने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर करके इस न्यायालय का रुख किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मेहता ने प्रस्तुत किया कि ओ2 पावर द्वारा जारी किए गए अधिमान शेयर केवल जारीकर्ता के विकल्प पर प्रतिदेय हैं और शेयरों से जुड़ी कोई अवधि नहीं है। उनका तर्क है कि कंपनी अधिनियम की धारा 2(57) के तहत निवल मूल्य की परिभाषा पेड-अप शेयर

कैपिटल अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 2(64) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि चुकता शेयर पूंजी चुकता पूंजी के रूप में जमा की गई कुल राशि है और जारी किए गए शेयरों के संबंध में पेड उप पूंजी के रूप में प्राप्त राशि के बराबर है जिसमें भुगतान के रूप में कंपनी के शेयरों के संबंध में जमा की गई राशि भी शामिल है। वह प्रस्तुत करता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 43 में कहा गया है कि शेयरों द्वारा सीमित कंपनी की शेयर पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी और अधिमान शेयर पूंजी शामिल है जिसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति में अधिमान शेयर पूंजी के साथ-साथ कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी दोनों शामिल हैं। वह आगे कहता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 55(2) हालांकि यह बताती है कि अधिमानों को 20 वर्षों के भीतर मोचन किया जाना चाहिए फिर भी उप-धारा (2) का दूसरा परंतुक स्पष्ट करता है कि शेयरों को कंपनी के मुनाफे को छोड़कर मोचन नहीं जा सकता है जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होगा या इस तरह के मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के निर्गम से भुगतान की गई आय में से। उनका कहना है कि प्रेफरेंस शेयरों का मौजूदा शेयर पूंजी से मोचन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वह कहते हैं कि निवल मूल्य की परिभाषा से अधिमान शेयरों को बाहर करने का प्रत्यर्थियों का निर्णय कानून के जनादेश के विपरीत है। वह कहता है कि कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी को निवल मूल्य में शामिल

किया गया है इस बात का कोई कारण नहीं है कि अधिमान शेयरों को बाहर क्यों रखा जाना चाहिए यदि मोचन केवल कंपनी के उदाहरण पर है।

6. श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि तुलन-पत्र और निवल मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि दोनों दो अलग और स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। उनका तर्क है कि तुलन-पत्र के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयर पूंजी और अधिमान शेयर पूंजी दोनों को देयताके रूप में दिखाया जाता है और इसलिए अधिमान पूंजी को छोड़कर केवल तुलन-पत्र में लेखांकन वर्गीकरण के माध्यम से कंपनी के निवल मूल्य पर पहुंचना अतार्किक है।

7. *समानांतर स्तंभ में* प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पिकी आनंद ने प्रस्तुत किया कि न्यायालयों को निविदाओं से निपटने के दौरान संयम और सावधानी बरतनी चाहिए। वह कहती है कि प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य केवल मनमानापन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है और उद्देश्य केवल यह जांचना है कि निर्णय कानूनी रूप से किया गया है या नहीं। वह कहती है कि यदि निविदा जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय बोर्ड में लागू किया जाता है और जब निविदाकर्ता द्वारा पिक एंड चूज की नीति अपनाने का कोई सबूत नहीं है तो रिट न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8. सुश्री आनंद इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.12.2022 के एक निर्णय पर भरोसा करती हैं जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, रि.या. (सि.) 11752/2022 जिसमें इस न्यायालय ने केवल राजस्व लाभ से सृजित भंडार के आधार पर निवल मूल्य को प्रतिबंधित करने के निविदाकर्ता के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अनुसूची III खंड 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 129 पर भरोसा किया है जिसके तहत एक अधिमान शेयर को देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिदेय अधिमानों को गैर-चालू उधार या देयताके तहत वर्गीकृत किया गया है। वह तर्क देती है कि उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए अधिमान शेयर देयता हैं और इसलिए कंपनी के निवल मूल्य की परिभाषा से अधिमान शेयरों को बाहर करने के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वह आगे कहती है कि ओ2 पावर के वित्तीय विवरण में कहा गया है कि अधिमान शेयर पूंजी को अलग से सूचीबद्ध किया गया है और इसलिए लेखांकन मानकों के संदर्भ में उन्हें देयता के रूप में माना जाना चाहिए।

9. श्री मेहता का कहना है कि कंपनी अधिनियम की धारा 129 और उसके संदर्भ में अधिसूचित लेखा मानकों के संदर्भ में एक तुलन-पत्र तैयार करने की आवश्यकता है और न तो धारा 129 और न ही मौजूदा लेखा मानक किसी कंपनी के निवल मूल्य का उल्लेख करते हैं। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के जेके इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ (2007) 13 एससीसी 673 के रि.या.(सि.) 17599/2022

निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह बताने के लिए कि तुलन-पत्र किसी कंपनी के निवल मूल्य का संकेतक नहीं है। यह उनका तर्क है कि निवल मूल्य की गणना और तुलन-पत्र तैयार करना दो अलग-अलग अभ्यास हैं और यह अंतर इस तथ्य से प्रकट होता है कि तुलन-पत्र के लिए इक्विटी शेयर पूंजी को देयता के रूप में भी वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए वह प्रस्तुत करते हैं कि तुलन-पत्र में लेखांकन वर्गीकरण के माध्यम से निवल मूल्य पर पहुंचना गलत है। श्री मेहता ने आगे प्रस्तुत किया है कि जहां प्रतिदेय अधिमान शेयर जारी किए जाते हैं लेकिन जब वे मोचन के लिए परिपक्व होते हैं परन्तु सम्मानित नहीं किए जाते हैं तो उन शेयरों का धारक स्वचालित रूप से लेनदार की स्थिति ग्रहण नहीं करता है। इस पर आधारित वह प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए लेखांकन मानक वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे तुलन-पत्र तैयार करने से संबंधित हैं निवल मूल्य की गणना से नहीं।

10. यह तर्क में भी प्रस्तुत किया गया है कि लेखा मानक 32 के एजी 25 के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए लागू परीक्षण कि क्या अधिमान शेयरों को वित्तीय देयता या इक्विटी साधन के रूप में माना जाना है, क्या यह धारक के विकल्प पर प्रतिदेय है, जारीकर्ता के विपरीत और यह भी कि क्या ऐसे शेयर एक निश्चित अवधि या कार्यकाल पर प्रतिदेय हैं। प्रश्नगत अधिमान शेयरों की कोई अवधि/समाप्ति नहीं होती है और वे केवल जारीकर्ता के विकल्प पर

प्रतिदेय होते हैं जैसा कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है। इसलिए, भले ही लेखांकन मानक लागू हों, विचाराधीन शेयरों को देयता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

11. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया गया।

12. प्रारंभ में, हम चयन के लिए अनुरोध के प्रासंगिक खंडों का उल्लेख करना उचित समझते हैं जो बोलीदाता द्वारा संतुष्ट होने के लिए निवल मूल्य के लिए अपेक्षित मानदंड निर्धारित करते हैं। इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

....4.3.1 नेट-वर्थ

(क) बोलीदाता का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की नियत तारीख से ठीक पहले 300 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए.....

ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विचार किया जाने वाला निवल मूल्य बोली लगाने वाली कंपनी या सहायता संघ का संचयी निवल मूल्य होगा साथ ही बोलीदाता(ओं) के उन सहयोगियों का निवल मूल्य होगा जो आवश्यक इक्विटी फंडिंग और परफोर्मेंस बैंक गारंटी का योगदान करने का वचन देते हैं, यदि बोलीदाता आरएफएस के अनुसार ऐसा करने में विफल रहते हैं।

(ग) इस खंड के लिए विचार किया जाने वाला निवल मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके आगे के किसी

**भी संशोधन के अनुसार गणना की गई कुल निवल मूल्य  
होगा... (महत्त्व दिया गया)**

13. खंड 4.3.1 के तहत बोलीदाता का निवल मूल्य बोली प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के बराबर या उससे अधिक होना आवश्यक है जिसकी गणना कंपनी अधिनियम की योजना और जनादेश के भीतर की जाती है। इस खंड में यह भी प्रावधान है कि निवल मूल्य बोलीदाता और उसके सहयोगियों का संचयी निवल मूल्य है जो उन मामलों में इक्विटी फंडिंग और परफोर्मेस बैंक गारंटी का अंशदान करने का वचन देता है जहां बोलीदाता चयन हेतु अनुरोध के अनुसार ऐसा करने में असफल रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवल मूल्य कंपनी अधिनियम के अनुसार परिकलित निवल मूल्य होगा।

14. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अपने सहयोगी अर्थात् ओ2 पावर सहित अपनी निवल संपत्ति प्रस्तुत की है क्योंकि ओ2 पावर ने चयन के अनुरोध के खंड 4.3.1(ख) के संदर्भ में आवश्यक इक्विटी फंडिंग और परफोर्मेस बैंक गारंटी का योगदान करने का वचन दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संचयी निवल मूल्य में ओ2 पावर द्वारा जारी प्रतिदेय अधिमान शेयर शामिल हैं। आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी ने यह विचार लिया कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई निवल मूल्य की गणना गलत

है क्योंकि प्रतिदेय अधिमान शेयरों के मूल्य को उस से बाहर रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विवाद की जड़ यह है कि क्या प्रतिदेय अधिमान शेयर शुद्ध का एक हिस्सा है- यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम की योजना के अंतर्गत किसी कंपनी के मूल्य को शामिल करने में सही था और क्या याचिकाकर्ता ने खंड 4.3.1।

15. इसके आलोक में हम कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धारा 2(57) में निम्नानुसार कहा गया है कि:-

*निवल मूल्य का अर्थ है पेड-अप शेयर पूंजी का कुल मूल्य और लाभ और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार, संचित हानियों के कुल मूल्य में कटौती के बाद, आस्थगित व्यय और विविध व्यय को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बट्टे खाते में नहीं डाला गया, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित भंडार, मूल्यह्रास और समामेलन का लेखन शामिल नहीं है।*

16. धारा 2(64) के संदर्भ में पेड-अप शेयर पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

*पेड-अप शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल पेड-अप का अर्थ है पेड-अप के रूप में जमा की गई कुल राशि जो जारी किए गए शेयरों के संबंध में पेड-अप के रूप में प्राप्त*

राशि के बराबर है और इसमें कंपनी के शेयरों के संबंध में पेड-अप के रूप में जमा की गई कोई भी राशि शामिल है लेकिन इसमें ऐसे शेयरों के संबंध में प्राप्त कोई अन्य राशि शामिल नहीं है चाहे जिस भी नाम से बुलाया जाए;

17. यह स्पष्ट है कि निवल मूल्य में पेड-अप शेयर पूंजी शामिल है। अधिनियम धारा 43 के तहत शेयर पूंजी के प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है कि:-

शेयरों द्वारा सीमित कंपनी की शेयर पूंजी दो प्रकार की होगी, अर्थात्: -

(क) इक्विटी शेयर पूंजी-

(i) मतदान के अधिकार के साथ; या

(ii) लाभांश, मतदान या अन्यथा ऐसे नियमों के अनुसार के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और

(ख) अधिमान शेयर पूंजी:-

बशर्ते कि इस अधिनियम में निहित कुछ भी अधिमान शेयरधारकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले समापन की आय में भाग लेने के हकदार हैं।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) “इक्विटी शेयर पूंजी” शेयरों द्वारा सीमित किसी भी कंपनी के संदर्भ में सभी शेयर पूंजी का मतलब है जो अधिमान शेयर पूंजी नहीं है;

(ii) अधिमान शेयर पूंजी शेयरों द्वारा सीमित किसी भी कंपनी के संदर्भ में, कंपनी की जारी शेयर पूंजी का वह हिस्सा है जो निम्नलिखित के संबंध में अधिमानी अधिकार रखता है या ले जाएगा-

(क) लाभांश का भुगतान या तो एक निश्चित राशि के रूप में या एक निश्चित दर पर गणना की गई राशि जो या तो आयकर से मुक्त या अधीन हो सकती है; और

(ख) चुकौती, पूंजी के समापन या पुनर्भुगतान के मामले में शेयर पूंजी की राशि का भुगतान किया गया है या भुगतान किया गया माना जाता है, चाहे या नहीं, किसी भी निश्चित प्रीमियम या प्रीमियम के भुगतान का एक अधिमान्य अधिकार है किसी भी निश्चित पैमाने पर, कंपनी के ज्ञापन या लेखों में निर्दिष्ट;"

(iii) पूंजी को अधिमान पूंजी माना जाएगा, इस बात के बावजूद कि वह निम्नलिखित अधिकारों में से किसी एक या दोनों का हकदार है, अर्थात्:-

(क) लाभांश के संबंध में खंड (ii) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट राशियों के अधिमान्य अधिकारों के अलावा इसे भाग लेने का अधिकार है चाहे पूरी तरह से या सीमित सीमा तक पूंजी के साथ पूर्वोक्त अधिमान्य अधिकार का हकदार न हो;

(ख) कि पूंजी के संबंध में, पुनर्भुगतान के अधिमान्य अधिकार के अलावा, खंड (ii) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट राशियों के समापन पर इसे भाग लेने का अधिकार है चाहे पूरी तरह से या सीमित सीमा तक, पूंजी के साथ किसी भी अधिशेष में उस अधिमान्य अधिकार का हकदार नहीं है जो पूरी पूंजी पुनः चुकाने के बाद रह सकता है।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 में प्रावधान है कि शेयर पूंजी दो प्रकार की हो सकती है अर्थात् इक्विटी शेयर पूंजी और अधिमान शेयर पूंजी। धारा 43 के स्पष्टीकरण (ii) में प्रावधान है कि अधिमान शेयर धारकों को लाभांश के भुगतान के संबंध में और पूंजी के समापन या पुनर्भुगतान के मामले में पुनर्भुगतान के संबंध में अधिमान्य अधिकार है। धारा 43 के स्पष्टीकरण (iii) में प्रावधान है कि पूंजी को अधिमानी शेयर पूंजी माना जाएगा इस बात के बावजूद कि यह लाभांश के संबंध में या तो अधिकारों का हकदार है खंड (ii) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट राशियों के अधिमान्य अधिकारों के अलावा और पूंजी के संबंध में चुकौती के अधिमान्य अधिकार जो खंड (ii) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट राशियों के समापन पर होगा के अलावा।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 यह निर्धारित करती है कि अधिमान शेयर कैसे जारी किए जाए और कैसे उनका मोचन किया जाए और यह निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

*धारा 55: अधिमान शेयरों का निर्गम और मोचन।*

*(1) शेयरों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी अधिमानी शेयर को जारी नहीं करेगी जो अप्रतिदेय हैं।*

*(2) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, यदि उसकी शर्तों द्वारा अधिकृत है तो अधिमान शेयर जारी कर सकती है जो ऐसी शर्तों के अधीन उनके जारी होने की तारीख से बीस*

साल से अधिक की अवधि के भीतर मोचन किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं:

बशर्ते कि एक कंपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बीस साल से अधिक की अवधि के लिए अधिमान शेयर जारी कर सकती है, ऐसे अधिमानी शेयरधारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर निर्धारित शेयरों के ऐसे प्रतिशत के मोचन के अधीन:

बशर्ते कि-

(क) ऐसे किसी भी शेयर का कंपनी के मुनाफे को छोड़कर मोचन नहीं किया जाएगा जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होगा या इस तरह के मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के नए मुद्दे की आय से बाहर होगा;

(ख) ऐसे किसी भी शेयर का तब तक मोचन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है;

(ग) जहां ऐसे शेयरों को कंपनी के मुनाफे से मोचन करने का प्रस्ताव है, वहां ऐसे मुनाफे में से, शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि को एक आरक्षित में स्थानांतरित किया जाएगा जिसे पूंजी मोचन आरक्षित खाता कहा जाएगा और कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान इस खंड में प्रदान किए गए को छोड़कर, लागू करें जैसे कि पूंजी मोचन आरक्षित खाता कंपनी की पेड-अप शेयर पूंजी थी; और

(घ)(i) कंपनियों के ऐसे वर्ग के मामले में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिसका वित्तीय विवरण

धारा 133 के तहत कंपनियों के ऐसे वर्ग के लिए निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, प्रीमियम, यदि कोई हो, मोचन पर देय शेयरों का मोचन किए जाने से पहले, कंपनी के मुनाफे से बाहर प्रदान किया जाएगा:

बशर्ते कि प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसी किसी भी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उससे पहले जारी किए गए किसी भी अधिमान शेयरों के मोचन पर देय होगा, तो ऐसे शेयरों का मोचन किए जाने से पहले, कंपनी के मुनाफे से या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से बाहर प्रदान किया जाएगा।

(ii) उपरोक्त उप-खंड (i) के तहत नहीं आने वाले मामले में, प्रीमियम, यदि कोई हो, मोचन पर देय कंपनी के मुनाफे से या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से बाहर के लिए प्रदान किया जाएगा इससे पहले कि ऐसे शेयरों का मोचन किया जाए।

(3) जहां कोई कंपनी किसी भी अधिमान शेयरों को भुनाने या लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों पर जारी करने की शर्तों के अनुसार (ऐसे शेयरों को इसके बाद अमोचित अधिमान शेयरों के रूप में संदर्भित किया गया है), यह हो सकता है कि ऐसे अधिमान शेयरों के मूल्य में तीन-चौथाई धारकों की सहमति से और इस संबंध में इसके द्वारा की गई याचिका पर ट्रिब्यूनल के अनुमोदन के साथ, अमोचित गए अधिमानी शेयरों के संबंध में लाभांश सहित देय राशि के बराबर और प्रतिदेय अधिमान शेयर जारी करना और ऐसे आगे प्रतिदेय अधिमानी शेयरों के जारी होने पर

अमोचित अधिमानी शेयरों का मोचन किया गया माना जाएगा:

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल, इस उप-धारा के तहत अनुमोदन देते समय, ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के मोचन का आदेश देगा, जिन्होंने आगे प्रतिदेय अधिमानी शेयरों के मुद्दे के लिए सहमति नहीं दी है।

स्पष्टीकरण- संदेह को दूर करने के लिए, यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत आगे प्रतिदेय अधिमान शेयरों के मुद्दे या अधिमान शेयरों के मोचन को कंपनी की शेयर पूंजी में वृद्धि या जैसा भी मामला हो, कमी नहीं माना जाएगा।

(4) पूंजी मोचन आरक्षित खाता, इस खंड में कुछ भी होने के बावजूद, कंपनी द्वारा कंपनी के सदस्यों को पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले कंपनी के अनिर्गमित शेयरों का भुगतान करने में लागू किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए शब्द बुनियादी ढांचा परियोजनाएं का अर्थ है अनुसूची VI में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।”

(जोर दिया गया)

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 में यह निर्धारित किया गया है कि शेयरों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी अधिमानी शेयर जारी नहीं करेगी जो अप्रतिदेय हो। धारा 55(2) में प्रावधान है कि अधिमान शेयरों का 20 वर्ष से अधिक अवधि

के भीतर मोचन किया जा सकता है। धारा 55 के परंतुक (क) में प्रावधान है कि ऐसे किसी भी शेयर का कंपनी के लाभों को छोड़कर मोचन नहीं किया जाएगा जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होगा या मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के नए निर्गम की आय से बाहर होगा और कोई भी अधिमान शेयर का तब तक मोचन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है। धारा 55 में यह भी प्रावधान है कि अधिमान शेयरों का उनके जारी होने की तारीख से 20 वर्ष से अधिक अवधि के भीतर मोचन किया जा सकता है। इसलिए धारा 55 के अवलोकन में यह प्रावधान है कि अधिमान शेयरों का कंपनी की शेयर पूंजी के भीतर मोचन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इसका अर्थ है कि दो स्रोतों के अलावा अर्थात्, लाभ से और शेयरों के नए निर्गम की आय में से अधिमानी शेयरों के मोचन के लिए किसी अन्य स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एनआईटी की धारा 4.3.1 (ग) में कहा गया है कि निवल मूल्य पर विचार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाएगा। एनआईटी में, निविदाकर्ता ने निवल मूल्य की परिभाषा से अधिमान शेयरों को विशेष रूप से बाहर नहीं किया है।

21. शपथ-पत्र पर हमारे समक्ष यह कहा गया है कि विचाराधीन अधिमान शेयर वह अधिमान शेयर हैं जिन्हें जारीकर्ता के कहने पर इन

शेयरों से जुड़ी कोई निश्चित अवधि या कार्यकाल नहीं दिया जा सकता है। एक अवलोकन सरलीकृत उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे शेयर चुकता शेयर पूंजी का हिस्सा बनेंगे जो बदले में निवल मूल्य का एक घटक है। इसलिए हमारी राय है कि विचाराधीन शेयर कंपनी अधिनियम की योजना और जनादेश के भीतर निवल मूल्य का एक हिस्सा बन सकते हैं।

22. इस समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जेके इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ, (2007) 13 एससीसी 673 में निष्कर्षों पर ध्यान देना उचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

“15. कंपनी अधिनियम की धारा 210 में एक कंपनी को एजीएम के समक्ष और संबंधित अवधि के लिए एक तुलन-पत्र व एक पी&एल खाते को रखने की आवश्यकता होती है। तुलन-पत्र का कार्य कंपनी की शेयर पूंजी, आरक्षित और देयता को उस तारीख को दिखाना है जिस तारीख को इसे तैयार किया जाता है और जिस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुल धन को कई प्रकार की परिसंपत्तियों पर वितरित किया जाता है। तुलन-पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक सामान्य नियम के रूप में यह किसी विशेष तिथि पर किसी उपक्रम का निवल मूल्य नहीं दर्शाता है। यह ख्याति, भूमि, संयंत्र और मशीनरी आदि के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य को नहीं दर्शाता है। इसमें उन मामलों को छोड़कर जहां स्टॉक-इन-ट्रेड का वसूली योग्य मूल्य लागत से कम है वहाँ स्टॉक-इन-ट्रेड का वसूली योग्य मूल्य भी नहीं दर्शाता है।

*इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि तुलन-पत्र सही वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।”*

(जोर दिया गया)

23. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी अधिनियम की धारा 2(40) जो एक कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण को परिभाषित करती है जिसमें एक तुलन-पत्र शामिल है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 129 के अनुसार तैयार किया जाना है और धारा 129 कंपनी अधिनियम की अनुसूची III को संदर्भित करता है। जैसा कि जेके इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त) में कहा गया है यह किसी कंपनी के निवल मूल्य से संबंधित नहीं है। निवल मूल्य की गणना और तुलन-पत्र तैयार करना इसलिए अलग-अलग अवधारणाएं हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि यदि अधिमान शेयरों का मोचन नहीं किया जाता है तो अधिमान शेयरों का धारक लेनदार की स्थिति को ग्रहण नहीं करता है। भले ही ओ2 पावर एसजी पीटीई लिमि. भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा शासित है (जो वास्तव में नहीं है क्योंकि यह सिंगापुर में निगमित कंपनी है और सिंगापुर के कानूनों द्वारा शासित है), ओ2 पावर एसजी पीटीई लिमि. द्वारा जारी अधिमान शेयर शेयरधारकों के विकल्प पर मोचनीय नहीं हैं और इसलिए ऋण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

24. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि निवल मूल्य की गणना का तरीका जो प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को निविदा प्रक्रिया के आगे के चरणों

से बाहर करने के लिए अपनाया गया है कंपनी अधिनियम की धाराओं के विपरीत है। एनआईटी का खंड 4.3.1 (ग) अधिमान शेयरों को निवल मूल्य की परिभाषा से बाहर नहीं करता है बल्कि यह बताता है कि इस खंड के लिए निवल मूल्य पर विचार किया जाना है तो निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार की गई है और कोई अन्य विधि अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि निवल मूल्य की गणना करते समय निविदा में अधिमान शेयरों को क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थीगण को ऐसी विधि अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो प्रावधानों के विपरीत हो। भले ही दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है या यह कि विधि किसी विशेष पक्ष के पक्ष में गणना की गई है चूंकि निर्णय कानून के उल्लंघन में आया है, इसलिए यह न्यायालय किसी भी निर्णय को बरकरार रखने के लिए एक पक्ष नहीं हो सकता है जो कानून के सीधे पठन के विपरीत है।

25. जैसा कि पहले कहा गया है, तुलन-पत्र किसी कंपनी के वास्तविक निवल मूल्य का संकेतक नहीं है। तुलन-पत्र किसी कंपनी की शेयर पूंजी और तुलन पत्र तैयार करने की तारीख को कंपनी के लिए परिसंपत्ति या देयता के रूप में उसके उपचार को दर्शाता है। यह विवादित नहीं है कि तुलन-पत्र वर्तमान लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए जाने हैं। यहां तक कि अगर यह मामला था कि आक्षेपित निर्णय की वैधता का परीक्षण लेखा मानक 32 द्वारा

निर्धारित निर्देशों के भीतर किया जाना था तो श्री मेहता द्वारा यह सही ढंग से बताया गया है कि मानकों के एजी 25 के संदर्भ में प्रश्न में अधिमान शेयरों को केवल कुछ परिस्थितियों में देयता के रूप में माना जाएगा और हमेशा नहीं। एजी 25 निम्नानुसार बताता है:-

“एजी 25 अधिमान शेयर विभिन्न अधिकारों के साथ जारी किए जा सकते हैं। यह निर्धारित करने में कि क्या अधिमान शेयर एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन है, एक जारीकर्ता यह निर्धारित करने के लिए शेयर से जुड़े विशेष अधिकारों का आकलन करता है कि क्या यह वित्तीय देयता की मौलिक विशेषता प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, एक अधिमान शेयर जो किसी विशिष्ट तिथि पर या धारक के विकल्प पर मोचन के लिए प्रदान करता है उसमें वित्तीय देयता होती है क्योंकि जारीकर्ता के पास शेयर के धारक को वित्तीय संपत्ति हस्तांतरित करने का दायित्व होता है। एक जारीकर्ता की संभावित अक्षमता एक अधिमान शेयर का मोचन करने के दायित्व को पूरा करने के लिए जब अनुबंधित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता होती है चाहे धन की कमी, वैधानिक प्रतिबंध या अपर्याप्त लाभ या भंडार के कारण दायित्व को नकारता नहीं है। नकदी के लिए शेयरों का मोचन करने के लिए जारीकर्ता का एक विकल्प वित्तीय देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करता है क्योंकि जारीकर्ता के पास शेयरधारकों को वित्तीय संपत्ति हस्तांतरित करने का वर्तमान दायित्व नहीं है। इस मामले में, शेयरों का मोचन पूरी तरह से जारीकर्ता के विवेकाधिकार पर है। एक दायित्व उत्पन्न हो सकता है हालांकि जब शेयरों का जारीकर्ता अपने

**विकल्प का उपयोग करता है, आमतौर पर शेयरधारकों को शेयरों का मोचन करने के इरादे से औपचारिक रूप से सूचित करके। ”**

(जोर दिया गया)

26. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में माना है कि संविदात्मक मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश अत्यंत सीमित है। न्यायालय संविदात्मक मामलों में तभी हस्तक्षेप करता है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो या यह कि निविदाकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय किसी के पक्ष में किया गया हो या यह कि निर्णय इतना तर्कहीन हो कि विवेक का कोई भी व्यक्ति उस निष्कर्ष पर न पहुंचे हो। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वह किसी के पक्ष में है, फिर भी निवल मूल्य की गणना के लिए प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई विधि कंपनी अधिनियम के तहत दिए गए निवल मूल्य की परिभाषा के विपरीत है। जीकेसी प्रोजेक्ट्स (पूर्वोक्त) यह इस कारण से उपयुक्त नहीं है कि उस मामले में निविदाकर्ता ने निवल मूल्य की गणना करते समय केवल राजस्व लाभ से उत्पन्न होने वाले आरक्षित को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया था जो कानून के विपरीत नहीं है। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में निविदाकर्ता ने

अधिमान शेयरों को निवल मूल्य की परिभाषा से बाहर रखने का फैसला किया है जो गलत धारणा पर था कि अधिमान शेयर एक देयता है जो कंपनी अधिनियम की धाराओं के विपरीत है। केवल जब अधिमान शेयर शेयरधारकों के कहने पर मोचन किए जाने योग्य होते हैं तो केवल अधिमान शेयरों को देयता के रूप में कहा जा सकता है और सभी मामलों में नहीं। अधिमान शेयरों को लाभ से या इस उद्देश्य के लिए एक नए मुद्दे से मोचन किया जाता है और मौजूदा शेयर पूंजी से नहीं। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा निवल मूल्य की गणना का पूरा आधार कानून के प्रावधानों के विपरीत है इसलिए इस न्यायालय के पास यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि निवल मूल्य की गणना से अधिमान शेयरों को बाहर करने के लिए निविदाकर्ता का निर्णय मनमाना और तर्कहीन है। उपरोक्त के मद्देनजर, निविदा प्रक्रिया से इसके बहिष्कार के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवल मूल्य की गणना करते समय अधिमान शेयरों को शामिल करके याचिकाकर्ता के निवल मूल्य की गणना फिर से करें और यह निर्णय लें कि याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली पर विचार किया जा सकता है या नहीं।

27. रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

मु. न्या. सतीश चंद्र शर्मा

न्या. सुब्रमोनियम प्रसाद

मार्च 21, 2023

एचएसके/एसएचके



*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।